	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
28/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस हेतु अवसर चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थनापत्र दि. 4/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 28/7/25	
4/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप। पत्रावली वास्ते बहस दि. 18/08/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 04/8/25	
18/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र O9 R7 CPC दि. 21/08/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 18/8/25	1 नक़्ल
21/08/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र O9 R7 CPC के परिपेक्ष्य [illegible] का अवलोकन किया गया। कानूनी प्रावधानों व [illegible] न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मानपूर्वक [illegible] 2. प्रार्थी० प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा कथन किया गया कि हस्तगत अपील सं० 03/2022 में दिनांक 18/5/2022 तक प्रार्थी/रेस्पो क्रम 2 व 3 की ओर से Adv श्री रमेश	

तारीख़ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी
	चन्द नागर ने उपस्तिथि दी थी लेकिन Next hearing date पर प्रार्थी को सूचना दिये बिना ही न्यायालय से अनुपस्थित रहे जिससे दिनांक 29/06/2022 को रेस्पोडेन्टस के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो गई थी अतः वकील द्वारा की गई गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जावे। आगे तर्क किया कि हस्तगत अपील सं० 03/2022 के साथ समान वादग्रस्त आराजी को लेकर एक अन्य वाद सं० 101/2021 भी इसी न्यायालय मे दिनांक 29/6/2022 को नियत था जिसमे प्रार्थी के वकील श्री रमेश चन्द नागर ने present दी थी लेकिन भूलवश हस्तगत appeal मे present नही दे पाये थे। आगे तर्क किया कि प्रार्थी व प्रार्थी का पुत्र वर्ष 2022 के दौरान लम्बे समय तक बीमार रहने एवं Hospital मे admit रहने से प्रकरण की एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी नही हो पाई अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रकरण मे न्यायहित मे प्रा० पत्र को स्वीकार कर सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णय करे। 3. आमं० अप्रार्थी / ~~रेस्पो~~ अपीलांट ने उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी या प्रार्थी के वकील ने हस्तगत प्रकरण सं० 03/22 मे कभी भी उपस्तिथि नही दी। प्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 29/06/2022 को ex-parte order जारी किया और दिनांक 23/04/2025 को hearing conclude होकर प्रकरण [illegible] pronounce करने हेतु दिनांक [illegible] adjourn किया गया था। इसके [illegible] दिनांक [illegible]/2025 को भी प्रार्थी उपस्थित नही हुए। [illegible] तर्क किया कि final hearing होने और प्रकरण को judgement के लिये reserve करने बाद आदेश 9 नियम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

5. Order 9 Rule 7 cpc के अधीन यद्यपि कोई समय सीमा तय नहीं है, तथापि final hearing conclude होने से पूर्व तक ही पेश किया जा सकता है। एक बार सभी arguments and evidence को final रूप से सुनकर प्रकरण को judgement के लिए reserve कर दिया गया हो तो फिर आदेश 9 नियम 7 cpc के अधीन कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी अन्तिम निर्णय/डिक्री के बाद O9R13 cpc के अधीन ही अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

6. Biharilal v/s Jagannath sharma 2001 मामले में माननीय Himachal pradesh High court ने प्रतिपादित किया है कि "once the case is posted for judgement, the opportunity to file such an application is typically lost. The inherent powers of the court cannot override the explicit provisions of the civil procedure Code. Therefore, after the case is posted for judgement, inherent powers cannot be invoked to entertain an application under Order IX Rule 7 of the Code."

7. Jyoti Devi v/s Ld. Munsiff, Basohli 2014 मामले में माननीय जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय ने तथा A.T. Somasundaram v/s G. praveen pillai 2024 मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि "once the case is posted for judgement, the remedy shifts to filing an application under [illegible] for setting aside a decree or ex-parte judgement, under Rule 7 of the Code"

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:34 IST
Reason: SelfAttested

8. The Himachal pradesh High court in Sep 2022 held that the application for setting aside ex-parte order can be entertained only if filed

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	7 cpc के अधीन प्रा0 पत्र पेश नहीं किया जा सकता है। अंतिम निर्णय सुनाने के बाद ही प्रार्थी के लिये विकल्प उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा वर्ष 2022 में लम्बे समय तक बीमार रहने का कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। वर्ष 2023, 2024 व 2025 में भी court के समक्ष उपस्थित नहीं होने का कोई कारण पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी ने प्रा0पत्र रेस्पो क्रम 2 की ओर से यह प्रा0 पत्र पेश किया है जबकि relief रेस्पो 2 व 3 के लिये चाहा गया है अत: judgement pronounce होने की stage पर एवं बिना good cause के यह प्रा0 पत्र 09R7 खारिज योग्य है।
	4. बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य में मूल प्रकरण सं0 03/2022 उमराव नयारसीराम बनाम बालचंद वगै0 की आदेशिका का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पो0 के कोर्ट में उपस्थित होने का कोई साक्ष्य नहीं है, ना ही प्रार्थी की ओर से किसी वकील (pleader) द्वारा पैरवी हेतु कोई वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 29/6/2022 को प्रार्थी/रेस्पो0 की absence रहने पर इनके विरुद्ध ex-parte order जारी किया गया था। ex-parte order के बाद करीब 03 वर्ष तक प्रार्थी कभी भी कोर्ट में 09R7 cpc का प्रा0 पत्र लेकर नहीं आये। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2022 में लम्बे समय तक बीमार रहने का भी कोई [illegible] (illness) कोई [illegible] में पेश नहीं [illegible] 2 व 3 के लिये यह प्रा0 पत्र [illegible] किया है जबकि रेस्पो 3 के लिये [illegible] कोई आधिकार-पत्र भी पेश/संलग्न नहीं किया गया है। अत: प्रार्थी द्वारा 03 वर्षों की delay का कोई good cause पेश नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
before conclusion of the hearing. 9. Arjun Singh v/s Mahindra Kumar & ors. AIR 1964 SC 993 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि "an application under O9 R7 cpc is maintainable only before the hearing is concluded. If the matter is posted for judgement, the defendant can not be allowed to rejoin the case under O9 R7." इसी प्रकार Bhanu Kumar Jain v/s Archana Kumar (2005) 1 SCC 787 मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनिश्चित किया है कि "After the conclusion of arguments, the defendant has no right under Order 9 Rule 7 cpc. The only remedy is under O9 R 13, after the decree is passed." 10 उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी/रेस्पो० का प्रा० पत्र O9 R7 cpc खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/9/25 को पेश हो। (Signature) 21/08/25 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) (Seal: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ — सत्यमेव जयते)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner